

कार्यालय उप वन संरक्षक टोंक

क्रमांक एफ0सर्वे/एफ0सी0ए0/उवस/ 6698

दिनांक 22/08/2014

निमित्त:-

मुख्य अभियंता बीसलपुर परियोजना
राजस्थान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलमेंट
प्रोजेक्ट जवाहर सर्किल, जयपुर

विषय:-बीसलपुर बांध से जयपुर तक पेयजल पाईप लाइन हेतु 9.6 है0 वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण में बढ़ी हुई दरों से राशि जमा कराने बाबत।

प्रसंग:-कार्यालय पत्रांक 2603 दिनांक 2.3.2013, 4841 दिनांक 14.5.2013, 6614 दिनांक 12.7.2013, 10471 दिनांक 18.11.2013

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्रों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर लेख है कि वृक्षारोपण में बढ़ी हुई दरों से राशि 390720.00 रु0 अक्षरे तीन लाख नब्बे हजार सात सौ बीस रु. निम्न बैंक के उनके सामने अंकित नाम व बचत खाता संख्या में जमा करवाकर रसीद इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

क्र.स.	बैंक का नाम	खाते का नाम	खाता न0
1	यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया सुन्दर नगर नई दिल्ली 110	राजस्थान केम्पा	344902010105431

भारत सरकार द्वारा प्रदान स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पालना न होने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के (violation) की श्रेणी में आता है।

आप द्वारा चाहे गये मण्डल अधिकारी टोंक के पत्रांक 186 दिनांक 19.2.2013 की प्रति पूर्व में भी कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख के अनुसार प्रेषित की जा चुकी है एवं 237 दिनांक 11.9.2013 व एस.पी. 1 दिनांक 1.9.2006 की प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। आप अपने किसी भी प्रतिनिधि को भिजवाकर कार्यालय में रिकॉर्ड का अवलोकन कर सकते हैं।

अतः आप प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए व्यक्तिगत रुचि लेकर अपेक्षित राशि जमा करवाने की सुनिश्चिता करें ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 व माननीय उच्च न्यायलय के निर्देशों की अवहेलना से बचा जा सकें।

भवदीय



(एस0आर0यादव)

उप वन संरक्षक
टोंक

क्रमांक एफ0सर्वे/एफ0सी0ए0/उवस/ 6699-6701

दिनांक 22/08/2014

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एफसीए वन भवन राजस्थान जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक अजमेर।
3. लेखाकार कार्यालय हाजा।

(एस0आर0यादव)

उप वन संरक्षक
टोंक